

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020—पौष 10, शक 1942

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-5-2011-23-यो.आ.सां.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची—एक में, अनुक्रमांक 1 एवं 2 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"1.	महानिदेशक	1	प्रथम श्रेणी	सेवानिवृत्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति (नियमानुसार वेतन में से पेंशन घटाकर) अथवा संविदा नियुक्ति (1 लाख 50 हजार रूपए प्रतिमाह एक मुश्त वेतन, बिना किसी अन्य भत्ते के) अथवा प्रतिनियुक्ति	राज्य कार्यालय	राज्य शासन	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट

				(अखिल भारतीय सेवा वेतन मैट्रिक्स लेवल 15, 16 अथवा 17)			
2.	कार्यापालक निदेशक	1	प्रथम श्रेणी	प्रतिनियुक्ति द्वारा (1) अखिल भारतीय सेवा का वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 का अधिकारी अथवा (2) मध्यप्रदेश राज्य सेवा का वेतन मैट्रिक्स लेवल 17 का अधिकारी	राज्य कार्यालय	राज्य शासन	राज्य शासन।"।

2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 1 एवं 2 तथा उनसे संबंधित प्राविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्राविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1.	महानिदेशक	1	-	-	-	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट
2.	कार्यपालक निदेशक	1	-	-	-	राज्य शासन ।"।

No. F 10-5/2011/PES: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Jan Abhiyan Parishad (Recruitment of Officers and Employees and Service Conditions) Rules 2018, namely:-

### AMENDMENTS

In the said rules,

1. In Schedule-I, for serial numbers 1 and 2 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"1.	Director General	1	Class I	Contract appointment after retirement (pay minus pension as per rules) or Contract appointment (lump-sum salary of Rs. 1 Lakh 50 thousand per month without any other allowance) or By deputation (All India Services Pay Matrix Level 15, 16 or 17)	State Office	State Government	Nominated by the Chief Minister, Government of Madhya Pradesh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Executive Director	1	Class I	By deputation (1) Officers of All India Services Pay Matrix Level 14 Or (2) Officers of Madhya Pradesh State Services Matrix Level 17	State Office	State Government	State Government.

2. In Schedule-II, for serial numbers 1 and 2 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"1.	Director General	1	-	-	-	Nominated by the Chief Minister, Government of Madhya Pradesh
2.	Executive Director	1	-	-	-	State Government .".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.